

2011
विधि-II
साक्ष्य एवं प्रक्रिया
LAW Paper-II
(EVIDENCE AND PROCEDURE)

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 200

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 200

नोट : (i) परीक्षार्थी को प्रश्न क्रमांक 1 और चार अन्य प्रश्न करने हैं । प्रत्येक खण्ड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है । कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने दिये गये हैं । हालाँकि सभी प्रश्नों के समान अंक हैं ।

Notes : (i) Candidate should attempt Question No. one and four more. At least one question must be attempted from each section. In all five questions are to be answered.

(ii) Marks carried by each question have been indicated against the question. However, all questions carry equal marks.

1. (अ) A ने B के साथ रूड़की में हिन्दू विधि से विवाह किया । विवाह के समय A विधुर था किन्तु उसने इस तथ्य को B को उजागर नहीं किया । B अब हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत याचिका दायर करना चाहती है । याचिका तथा शपथ पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए । 30
- (ब) उपर्युक्त प्रश्न की याचिका के उत्तर में प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन का प्रारूप लिखिए । 10
- (a) A got married to B in Roorkee as per Hindu law. A was a widower at the time of marriage but he did not disclose this fact to B. Now B wants to file a petition under Section 12(1)(c) of the Hindu Marriage Act. Draft a petition along with affidavits.
- (b) Draft a written statement in reply to the above petition.

अथवा/OR

एक अभियुक्त को उपयुक्त आरोप लगाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के अधीन अपराध के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए एक निर्णय लिखिए । 40

Write a judgment convicting the accused under Section 376 (Rape) of Indian Penal Code after framing appropriate charge for the offence.

खण्ड – अ
SECTION – A

2. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर लिखिए :

- (क) वादपत्र की अस्वीकृति के आधार
(ख) प्राङ्गन्याय या पूर्वन्याय (Res Judicata) और न्यायाधीन विषय (Res Subjudice) में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
(ग) विदेशी निर्णय कब आबद्धकर नहीं है ?
(घ) मुजरा और प्रतिदावा में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
(ङ) न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की परिव्याप्ति और परिसीमाओं को स्पष्ट कीजिए ।

40

Attempt any **four** of the following :

- (a) Grounds for rejection of a plaint
(b) Distinguish between Res Judicata and Res Subjudice
(c) When foreign judgment is not binding ?
(d) Distinguish between set off and counter claim
(e) Explain the scope and limitations on inherent powers of the court.

3. (अ) अभिवचनों (Pleadings) में संशोधन हेतु अर्जी मंजूर करते या अस्वीकृत करते समय न्यायालय को क्या-क्या विचार करने पड़ते हैं ?

20

(ब) “आदेश 39 के तहत व्यादेश मंजूर करने की शक्ति असाधारण स्वरूप की होती है तथा इसका प्रयोग सम्यक न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार करना होगा ।” निहित सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिए ।

20

(a) What are the considerations that the civil courts keep in mind while granting or rejecting an application for amendment of pleadings ?

(b) “Power to grant injunction under O.39 is extraordinary in nature and it must be exercised in accordance with sound judicial principles.” Explain the principles involved.

4. (अ) अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सिविल न्यायालय हेतु आवश्यक शर्तों को स्पष्ट कीजिए ।

20

(ब) A ₹ 60,000 B को उधार देता है । वाद को न्यायालय X की अधिकारिता के अन्दर लाने के लिए A, B के विरुद्ध केवल ₹ 50,000 का वाद चलाता है तथा डिक्री प्राप्त कर लेता है । A ₹ 10,000 की शेष राशि के लिए न्यायालय X में दूसरा वाद लाता है । B आपत्ति दर्ज करता है । सी.पी.सी. के सुसंगत उपबंध को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय कीजिए ।

20

(a) Explain the conditions necessary for a civil court to exercise jurisdiction.

(b) ‘A’ advances loan of ₹ 60,000 to ‘B’. To bring the suit within the jurisdiction of court ‘X’, ‘A’ sues ‘B’ for ₹ 50,000 only and obtains a decree. Later on ‘A’ files a second suit for the balance of ₹ 10,000 in court ‘X’. ‘B’ raises an objection. Decide in the light of relevant provision of C. P. Code.

5. (अ) एक साधारण वाद और संक्षिप्त वाद के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए । उन आधारों को स्पष्ट कीजिए जिन पर संक्षिप्त वाद में न्यायालय द्वारा प्रतिवाद करने की इजाजत मंजूर की जाएगी । 20
- (ब) सिविल मामलों के निपटारा करने में सी.पी.सी. की धारा 89 के तहत आनुकल्पिक विवाद संकल्प (ADR) की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए । 20
- (a) Differentiate between an ordinary suit and a summary suit. Explain the grounds on which leave to defend will be granted by the court in a summary suit.
- (b) Explain the significance of Alternative Dispute Resolution (ADR) under S.89 of CPC in disposing of civil cases.

खण्ड – ब
SECTION – B

6. (अ) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट क्या होती है और इसका साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होता है ? 10
- (ब) वे कौन से मोटे-मोटे दिशा-निर्देश हैं जिन पर न्यायालय गैरजमानती मामलों में जमानत मंजूर करते समय विचार करते हैं ? 10
- (स) गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या-क्या हैं ? 10
- (द) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथा सम्मिलित अभिवाक सौदेबाजी (Plea Bargaining) की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए । 10
- (a) What is First Information Report (FIR) and what is its evidentiary value ?
- (b) What are the broad guidelines that the courts consider while granting bail in non-bailable cases ?
- (c) What are the rights of an arrested person ?
- (d) Explain the concept of 'Plea Bargaining' as incorporated in the Code of Criminal Procedure 1973.
7. (अ) अभियुक्त की अनुपस्थिति में जाँच और विचारण कब चल सकता है, समझाइए । 15
- (ब) संज्ञेय अपराध सम्बन्धी मामले में अन्वेषण हेतु प्रक्रिया का सविस्तर उल्लेख कीजिए । 15
- (स) मामलों (cases) और अपीलों का अन्तरण करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की समीक्षात्मक जाँच कीजिए । 10
- (a) When can inquiry and trial be held in the absence of the accused ? Explain.
- (b) Elaborate the procedure for investigation in a case relating to cognizable offence.
- (c) Critically analyze the power of the Supreme Court to transfer cases and appeals.

8. निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए :
- (अ) विशेषज्ञ की राय की सुसंगति । 10
- (ब) 'साबित', 'नासाबित', 'साबित नहीं हुआ' की व्याख्या कीजिए । 10
- (स) ऐसे मामले जिनमें दस्तावेजों से सम्बन्धित द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा । 10
- (द) स्वीकृति की परिभाषा लिखिए । 10

Explain the following :

- (a) Relevancy of an Expert Opinion.
- (b) Explain 'proved', 'disproved', 'not proved'.
- (c) Cases in which secondary evidence relating to documents may be given.
- (d) Define admission.

9. (अ) सहअपराधी कौन होता है ? इकबाली साक्षी (Approver) के साक्ष्य की विश्वसनीयता क्या है ? क्या इसके लिए परिपुष्टि आवश्यक है । निर्णीत मामलों की सहायता से व्याख्या कीजिए । 20
- (ब) किसी साक्षी को पक्षद्रोही कब कहा जा सकता है ? क्या ऐसे साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य सुसंगत तथा स्वीकार्य माना जाता है ? 20
- (a) Who is an Accomplice ? What is the credibility of approver's testimony ? Does it require any corroboration ? Discuss with the help of decided cases.
- (b) When is a witness said to have turned hostile ? Whether the evidence given by such a witness is considered relevant and admissible ?
10. (अ) क्या मृत्युकालीन कथन के एक मात्र साक्ष्य को दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है या नहीं ? 20
- (ब) कौन साक्ष्य दे सकता है ? क्या किसी मूक व्यक्ति को सक्षम साक्षी माना जा सकता है ? 20
- (a) Whether the sole testimony of the dying declaration can be made the basis of conviction or not ?
- (b) Who may testify ? Whether a dumb person can be considered a competent witness ?